फर्द अहकाम

रमेशचंद शर्मा बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्याः 311/25

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23.04.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् हिस्सा शुद्विकरण पेश किया। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात् का मनन एवं अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् हिस्सा दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है। तहसील सांगानेर के वाके ग्राम नगरियावाला पटवार मण्डल श्योपुर तहसील सांगानेर में जरिये नामान्तकरण संख्या 135 में मृतक खातेदार रामगोपाल पुत्र भौरीलाल जाति ब्राह्मण से उनके वारिसान् के पक्ष में दर्ज हिस्से फर्द मौका एवं वारिसान रिपोर्ट अनुसार अंकित नहीं किये गये है। अतः तहसीलदार सांगानेर को, खाता संख्या 44, 45, 46, 47 में अंकित रामगोपाल पुत्र भौरीलाल की विरासत के पश्चात उनके वारिसान के पक्ष में दर्ज हिस्सों को फर्द मौका के अनुसार (नियमानुसार) शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को सुनाया गया। (हिम्मत सिंह) आर..ए.एस. उपखण्ड अधिकारी	